''बच्चों के प्रति राज्य की कटिबद्धता''

बजट 2013–14 के लिये

बच्चों
के लिए
कार्य योजना एवं मांग पत्र

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान जयपुर

61 जनकपुरी–1 इमली फाटक जयपुर

ईमेल– **rihr.rajasthan@gmail.com, research.vijay@gmail.com**

मोबाइल– +919460397130, +917568245423

सहयोगः

- राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान
- रिर्सोस इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइटस् जयपुर
- बाल अधिकार संदर्भ केन्द्र
- दलित अधिकार केन्द्र
- अलवर मेवात शिक्षा एवं विकास संस्थान
- खिलती कलियां राजस्थान
- अल्लारिपु
- मंजरी संस्था बूंदी
- पी.यू.सी.एल राजस्थान
- बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
- यूनीसेफ
- एक्शन एड्
- प्लान इण्डिया
- सेव द् चिल्ड्रन

बच्चों के प्रति राज्य की कटिबद्धता''

बजट 2013–14 के लिये

''बच्चे हमारे देश का भविष्य ही नहीं वर्तमान भी है।''

''देश के भविष्य को जन्म लेने के पहले तीन सालों में पोषक आहार, उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के आवश्यकता होती ताकि वह किसी भी प्रकार की बिमारियों से ग्रस्त ना हो इसके लिए मां–बच्चा दोंनो की उचित स्वास्थ्य सुविधा व पौषक आहार की आवश्यकता जरूरी है। 6 साल की आयु तक उसका शारीरिक व मानसिक विकास होता है ऐसे समय में उसको अतिरिक्त पौषक आहार, शाला पूर्व शिक्षा की आवश्यकता होती है, यह उम्र ही उसके भावी जीवन का आधार होती है। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर 63 है, बच्चों में सम्पूर्ण टीकाकरण की दर केवल 26.5 प्रतिशत है जबकि राज्य में छह माह से तीन वर्ष तक की आयु के 36.8 प्रतिशत बच्ची अल्पवजनता के शिकार हैं। जो भारत कि तुलना में अधिक है। और साथ ही बढ़ रही मंहगाई की दर से यह तो सुनिश्चित हो गया है पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति और भी दयनीय हो रही है।''

इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है कि राज्य की 12 प्रतिशत जनसंख्या 6 साल से कम तथा 36 प्रतिशत जनसंख्या 7 से 18 साल तक के बच्चों की है। सरकार योजनाएं एवं नीतियां राजनीतिक हितों को ध्यान में रख कर तैयार किए जाते हैं। बच्चे क्योंकि राजनीतिक हितों की पूर्ति में कहीं पर भी सहायक नहीं हैं अतः वे सरकार की प्राथमिकताओं में भी नहीं हैं। यदि वर्ष 2008–09 के राज्य बजट को देखें तो हम पाते हैं कि बच्चों की सुरक्षा पर मात्र 0.02 प्रतिशत ही व्यय किया गया है। यानी बाल सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में बहुत नीचे है। बच्चों के विकास, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार के प्रयास अत्यन्त सीमित रहे हैं। 2005–06 से 2010–11 तक वार्षिक बजट व्यय का विश्लेक्षण देखें तो राजस्थान सरकार ने बच्चों के पोषण, विकास स्वास्थ्य व सुरक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण मदों पर अत्यन्त सीमित राशि ही व्यय की है। राज्य की कुल जनसख्या में हर दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का बच्चा तथा हर 10 व्यक्ति में एक 6 साल से कम उम्र का बच्चा है।

अत्यन्त सीमित बजट प्रावधानों का ही परिणाम है कि राज्य मे हर दूसरा बच्चा कुपोषित, हर पांचवा बच्चा शिक्षा से वंचित, हर चौथा बच्चा बाल श्रमिक है। अतः देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी चिकित्सा, पोषण, विकास, शिक्षा, व सुरक्षा पर बजट में उनकी जनसंख्या के अनुरूप अतिरिक्त प्रावधान किये जाऐं।

महत्वपूर्ण मांगे

- ***बच्चों के लिए अलग से बाल निदेशालय का गठन किया जाये जिसमें बच्चों से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों, योजनाओं, कानूनों की क्रियान्विति व निगरानी सुनिश्चित हो।***
- ***विद्यालयों, संस्थानों व घरों में बच्चों के होने वाली शारिरिक व मानसिक हिंसा को रोकने के लिए अलग से कानून बनाया जाये।***
- *राजस्थान का 48 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से आयु वर्ग की है अतः इसी अनुपात में बच्चों की शिक्षा, विकास व सुरक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का बजट आवंटित किया जाए।*
- *राज्य बाल नीति 2008 की पुनः समीक्षा की जाये एवं उसका सख्ती से क्रियान्वयन, एवं मुल्यांकन/निगरानी की जाये।*
- *केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी चाइल्ड बजटिंग प्रणाली लागू की जाए।*
- *राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सशक्त बनाया जाये।*
- *केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई बच्चों की कार्य योजना–2005 की तर्ज पर राज्य की भी कार्य–योजना बनाई जाये।*
- *बच्चों से सम्बन्धित मामलों को तुरन्त निपटाने के लिए जिला स्तर पर बाल अदालतों का गठन किया जाये।*
- *पंचायत स्तरीय कार्मिकों (शिक्षा, चिकित्सा व आई.सी.डी.एस. की योजनाओं के क्रियान्वयन) की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति का गठन प्रशिक्षण एवं कार्य योजना बनाई जाये।*
- *बच्चों से सम्बन्धित सभी विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग श्रम विभाग (बाल श्रम उन्मुलन) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग में समन्वय एवं मूल्याकन के लिए एक टास्क फोर्स/समिति गठित की जाए जो इनके कार्य के प्रगति का त्रैमासिक रूप ले सके।*
- *बच्चों से जुडे सभी विभागों में परियोजना स्तर व जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरा जाए।*
- *बाल विवाह निषेध अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की जाकर बाल विवाह की रोक थाम को सुनिश्चित किया जाये।*

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य

केन्द्र की नयी स्वास्थ्य नीति (2002) के अनुसार केन्द्र सरकार ने चिकित्सा सेवाओं पर सकल घरेलु उल्पाद का तीन प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान किया है, जिसे राजस्थान सरकार ने भी स्वीकार किया था परन्तु पिछले दो वर्षो से राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं पर सकल घरेलु उल्पाद का एक प्रतिशत से भी कम खर्च कर रही है। 2003 में नयी स्वास्थ्य नीति (2002) के अनुरुप प्रावधान नहीं किया गया है। इस नीति के अनुसार राज्य को 2004–05 से राज्य के सकल घरेलु उत्पाद का तीन प्रतिशत या राज्य के बजट का सात प्रतिशत चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर खर्च करना था।

हमारी मांगें

- *केन्द्र व राज्य स्वास्थ्य नीति, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप चिकित्सा पर राज्य बजट का 7 प्रतिशत/राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया जाए।*
- *राज्य सरकार की दो बच्चों की नीति से बाल–लिंगानुपात पर विपरित असर पड़ रहा है अतः इसकी तत्काल समीक्षा की जाये।*
- *प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में बाल रोग व महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाये।*
- *चिकित्सा संस्थानों पर बच्चों के लिए समस्त जांच एंव औषधियॉ पूर्ण रूप से निःशुल्क उपलब्ध हो।*
- *आशा सहयोगिनियों की सेवाओं को राज्य द्वारा स्वीकृत न्यूनतम पारिश्रमिक से जोड़ा जाए।*
- *ए.एन.एम. के कार्यभार की समीक्षा की जाए व उनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण वास्तविक स्थितियों के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।*
- *चिकित्सक संस्थानों पर आइ.पी.एच.एस. निर्धारित मानकों को लागू किया जाए।*
- *राजकीय विद्यालयों में मासिक स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से किए जाएं।*
- *ग्रामीण एवं पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए व रैफरल सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए।*
- *समस्त प्रसव सुरक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सुनिश्चित करना। इस हेतु प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य चिकित्सा केन्द्र पर आई.पी.एच.एस, मानक के अनुसार मानव संसाधन और समस्त उपकरण, भवन एवं अन्य संक्रमण रोकथाम की व्यवस्था हो। इस हेतु किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई पद रिक्त नहीं रहे। इसके लिए अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध किया जाए।*
- *राज्य में आधे से अधिक बच्चे कुपोषित हैं जिनमें बड़ी संख्या में भीषण रूप से कुपोषित हैं। वर्तमान व्यवस्था जिसमें प्रत्येक जिले में 6 शय्याऐं हैं जो कि पर्याप्त नहीं हैं। इनका लगभग 10 गुना विस्तार आवश्यक है एवं बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों के लिए विशेष व्यवस्था जैसे भोजन एवं उनके पारिश्रमिक हनन के पूर्नभुगतान की व्यवस्था हो।*
- *प्रत्येक सामुदायिक जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कुपोषण उपचार केन्द्र खोले जायें।*

शिक्षा

1990 में ही शिक्षा के मुद्दे पर जोमतीयेन (थाईलैंड़) हुए विश्व सम्मेलन में ''सबके लिए शिक्षा'' के लिए व्यापक निर्णय लिये गये जिसमें वर्ष 2000 तक सब को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण था। 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में कुछ नये संशोधन के उपरान्त कक्षा 1–5 तक में ड्राप आउट दर को 45 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत पर लाना तथा कक्षा 1–8 तक में ड्राप आउट दर को 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत पर लाना व अनुसूचित जाति व जनजाति की बालिकाओं में''बालिका शिक्षा'' के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना, सुनिश्चित किया गया था। वर्ष 2010 में इस स्थिति में कोई आशानुरूप सुधार नहीं हुआ

मांगें

- *राज्य में शिक्षा नीति के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च किया जाए।*
- *शिक्षा के अधिकार अधिनियम के राज्य नियमों को तुरन्त लागू किया जाए, जिसमें संरचनात्मक (खेलकूद मैदान, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, रसोईघर, शौचालय, स्कूल की चार दीवारी) सुविधाएं विद्यालयों को नियमानुयार 31 मार्च 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाए।*
- *है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की अक्षरतः पालना सुनिश्चित करते हुए मार्च 2013 तक सभी सरकारी व गैरसरकारी स्कूलों में त्ज्म् के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जायें।*
- *विद्यालयों में खेलकूद, पुस्तकालय आदि के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए।*
- *शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अकेडमिक कमेटी द्वारा तय गुणवत्ता के मानकों को सख़्ती से सुनिश्चित किया जाए।*
- *बिना कक्षा कक्ष व एकल कक्षा कक्ष वाले विद्यालयों में प्राथमिकता से कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया जाये।*
- *शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा से वंछित बच्चों की पहचान कर उन्को जल्द से जल्द से शिक्षा से जोड़ा जाये।*
- *अधिनियम के प्रावधानुसार शिक्षा सत्र 2011–12 के नामाकंन को ध्यान में रखते हुये प्रशिक्षित अध्यापको की उपलब्धता को सुनिशिचित किया जाये।*
- *अधिनियम के प्रावधानुसार शिक्षा सत्र 2011–12 से निजि विद्यालयों में कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों का प्रवेश बिना किसी भेद–भाव के अनुसार किया जाये।*
- *विद्यालय/ग्राम स्तर पर बाल मंच बनाये जायें।*
- *जेन्डर संवेदनशिलता को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।*

दलित, आदिवासी, वंचित व विकलांग बच्चे
मांगें :

- *अनु.जनजाति क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत योजना आयोग के निर्देशानुसार बजट आवंटन किया जाए।*
- *सभी विभागों द्वारा इन योजनाओं के लिए लघुशीर्ष (minor head) का प्रावधान किया जाए।*
- *उपरोक्त समुदायों के अतिरिक्त अन्य सभी वंचित समुदायों (शहरी ग़रीब, घुमन्तु जातियां व मुस्लिम समुदाय) के बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाए।*
- *विकलांग बच्चों के लिए भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम व छात्रवृत्ति के सभी प्रावधान लागू किए जाएं।*
- *अनु.जाति व अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए संचालित किए जा रहे छात्रावासों एवं विद्यालयों का स्तर नवोदय विद्यालय जैसे आवासीय संस्थानों के अनुरूप किया जाए।*
- *छात्रवृत्ति पात्रता हेतु आय सीमा को बढ़ाया जाए।*
- *सभी प्रकार के वंचित एवं विकलांग बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि को मंहगाई सूचकांक के साथ जोड़ा जाए।*
- *वाल्मिकी समुदाय विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं। स्कूलों, संस्थानों आदि जगहों पर बच्चों के जातीय भेदभाव की घटनाओं को रोकने जॉच करने तथा कार्यवाही करने के लिए जिला स्तरीय समिति का का गठन किया जाये।*
- *घुमन्तु जातियों का सर्वे हो व उनके पुनर्वास हेतु कार्ययोजना बनें। इन जातियों के बच्चों के लिऐ शिक्षा की उचित व्यवस्था हों।*

बच्चों की सुरक्षा स्थिति

राजस्थान में उच्च जन्म दर (28.4 प्रतिशत), बच्चों में कुपोषण (44 प्रतिशत 0–3 वर्ष), बालिका भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बालश्रम (22.8 प्रतिशत) राजस्थान में बच्चों की स्थिति को दर्शाते हैं। राज्य में अनिश्चित आय,निर्धनता, परिवारों का प्रवास, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचन, निम्न सामाजिक जागरूकता आदि के परिणामस्वरूप बाल शोषण, अभद्र व्यवहार,बच्चों की आंतरिक एवं बाह्य ख़रीद फरोख़्त व प्रवास, बाल श्रम, बंधुआ बाल मजदूरी, भागने वाले बच्चों एवं स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या में वृद्धि हुई है।

राजस्थान सरकार की बाल नीति (2008) में "प्रत्येक बालक को पैदा होने, जीने, बढ़ने, और बिना किसी भेदभाव के अथवा अंतर के विकास करने एवं सम्मानपूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है।"

बाल सुरक्षा का उद्देश्य बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव, उपेक्षा, शोषण, अमानवीयता तथा हिंसात्मक व्यवहार से सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करना है। इसका उद्देश्य बच्चों के साथ विद्यालयों में मारपीट,यौन शोषण,ख़रीद फरोख़्त व अपहरण, मादक पदार्थों के सेवन से बचाव करना भी है। अनुमानतः 12 लाख, साठ हजार बालश्रमिकों के साथ राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है।(आई.सी.एफ.टी.यू.,1997)

बड़े स्तर पर बालकों की खरीद फरोख्त और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में बच्चों की संलग्नता की घटनाएं भी राजस्थान में घटित होती हैं। जयपुर (राजस्थान) में लगभग दो लाख जैम वर्कस में से 20 हजार बच्चे काम करते हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम,2007 को समझना व उसे सही अर्थों में क्रियान्वित करना राजस्थान सरकार के लिए अभी बाकी है। किशोर न्याय अधिनियम बच्चे को एक विस्तृत क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों जो कि बच्चों सुरक्षा एवं देखभाल की श्रेणी में आती हैं, परिभाषित करता है।

बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड सभी जिलों में तक संचालित हो रहे हैं परन्तु उचित प्रशिक्षण व मार्गदर्शन के अभाव में बच्चों के साथ संवेदनशील नहीं हो पाते हैं। बाल गृह, सम्प्रेषण गृह, बालिका गृह में काफी सेवाओं व सुविधाओं की आवश्यकता है।

मांगें

- *किशोर न्याय अधिनियम 2000 का क्रियान्वयन सख्ती से किया जायें, इसमें उम्र सम्बन्धि कोई बदलाव नहीं हो।*
- *राज्य में बाल श्रम उन्नमूलन के लिये अलग से कानून बने।*
- *बाल श्रम को रोकने के लिये जिला स्तर पर गठीत टास्क फोर्स को सक्रिय किया जाये।*
- *समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.) के तहत गठित विभिन्न स्तर की बाल संरक्षण समितिया सक्रिय किया जाए तथा समय–समय पर नियमित प्रशिक्षण दिया जायें। पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर गठित समितियों के क्षमतावर्धन के लिए अलग से बजट प्रावधान किया जाये।*
- *राज्य स्तर पर चाइड हेल्प लाईन की स्थापना की जायें।*
- *जिला स्तर पर बाल संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाये*
- *समेकित बाल सुरक्षा संदर्भ, प्रशिक्षण एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जाये।*
- *घर से भागे व बेसहारा बच्चों के लिए संचालित गृहों को माडल गृह के रूप में विकसित करते हुए वहा शिक्षा व रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जायें।*
- *घर से भागे व बेसहारा बच्चों के लिए शहरों में ऐसे केन्द्रों (क्तवच पद ब्मदजमत) की स्थापना की जाये जहां बच्चों की बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके*
- *विधि से संघर्षरत बालक बालिकाओं के लिए संचालित गृहों में बच्चों के साथ मानसिक स्वास्थ्य एंव संर्वागीण विकास हेतु सुविधा उपलब्ध करवायी जायें।*
- *मानसिक एंव विमंदित बच्चों के लिए संचालित गृहों में प्रशिक्षित अध्यापकों व कार्मिकों को नियुक्त किया जायें।*
- *प्रत्येक जिले में बच्चों की नशा प्रवृति को रोकने के नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना की जाये*
- *प्रत्येक थाने स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण अधिकारी तथा चाइल्ड हेल्प डेक्स को सिर्फ बच्चों लिए ही बनाया जाये।*
- *किशोर न्याय बोर्ड में बच्चों के मामलों को निर्धारित समय सीमा में निपटाया जाये।*
- *बाल यौन शोषण कानून 2012 के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।*
- *जिला स्तर पर गठीत महिला सलाह सुरक्षा केन्द्रों पर बच्चों के मुद्दों को शामिल किया जायें।*
- *सरकार द्वारा संचालित किशोर गृहों संप्रेक्षण गृहों में बच्चों की शिक्षा की व्यववस्था की जाये तथा इनमें सुरक्षा के मानक तय किये जॉऐ।*

बाल विकास एंव पोषण

राजस्थान में हर दुसरा बच्चा कुपोषित हैं, आधे से ज्यादा खून की कमी के शिकार हैं और लगभग इतने ही बच्चे पूर्ण टीकाकरण से वंचित हैं। दुनिया के बहुत कम देशों में ही बाल कल्याण की यह स्थिति है। नवीनतम मानव विकास रिर्पोट के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों का अनुपात दुनिया में सबसे से ज्यादा है (इसमें भी राजस्थान की खराब है), और उसके साथ सिर्फ बांग्लादेश, इथियोपिया और नेपाल की ही तुलना की जा सकती है। भूख, कुपोषण और बीमार स्वास्थ्य के आधार पर एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता।

मांगे

- *माननीय सूप्रीम कोर्ट द्वारा दियें गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायें। जिसके तहत केन्द्रीयकृत रूप तैयार किये जाने पोषक आहार जिनमें खाने के तैयार सामग्री (RTE) तथा पकाकर खाने (RTC) के लिए क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित करना।*
- *आंगनबाड़ी के सभी कार्यों की निगरानी एवं सपोर्ट हेतु मातृ समितियों को सशक्त एवं सक्षम बनाया जाए तथा उनके नियमित प्रशिक्षण व निगरानी सुनिश्चित की जायें।*
- *प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र का स्वयं का भवन हो जिसमें खाना पकाने, भंडारण शिक्षण शुद्ध पेयजल शौचालय व खेल का प्रयाप्त स्थान हों।*
- *जहां आंगनबाडी केन्द्र का स्वयं भवन नहीं है वहा मनरेगा कार्यक्रम से उसका निमार्ण करवाया जायें।*
- *लेडी सुपरवाइज़र के कार्यक्षेत्र में आने वाली आंगनबाड़ियों की संख्या कम की जाए तथा इनकी संख्या को बढाया जायें। जिससे वह प्रत्येक आंगनबाड़ी में प्रतिमाह कम से कम एक बार विजिट कर सके।*
- *आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को गरम पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को राशि का अग्रिम भुगतान किया जाए।*
- *आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए तथा उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।*
- *आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सहायिका को नियमित रूप से क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।*
- *इन केन्द्रों पर शालापूर्व शिक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लियें तमिलनाडू माडल के आधार पर प्रत्येक केन्द्र पर दो कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जायें।*
- *प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में कम से कम दो संदर्भ केन्द्र की स्थापना की जाये जो प्रशिक्षण निगरानी एवं अध्ययन का काम करै।*
- *प्रत्येक गांव में स्वयं सहायता समूह व मातृ समितियों के लिये अलग से कक्ष बनाया जाये जहां वह सामग्री तैयार कर सके। वहां उपयोग तथा पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जाये।*

सहभागी संस्थाएं

क्रम. सं	संस्था का नाम	जिला
1	राज. विकंलाग सेवा संस्थान	झुन्झुनू
2	अमर बाल निकेतन	झुन्झुनू
3	एस.आर.के.पी.एस.	झुन्झुनू
4	झुन्झुनू पर्यावरण विकास समिति	झुन्झुनू
5	बांगड़ विकास संस्थान	बांसवाड़ा
6	वागधारा संस्था	बांसवाड़ा
7	राज. मुक्ति नाथ समिति	बीकानेर
8	लोक अधिकार नेटवर्क	बाड़मेर
9	वसुन्दरा सेवा संस्थान समिति	बाड़मेर
10	विद्या भारती संस्थान	बाड़मेर
11	वेदन्ता फाउन्डेशन	करौली
12	अंकुर सेवा स्वास्थ्य मण्डल	करौली
13	आदर्श मानव विकास संस्थान	करौली
14	जी.एस.ड़ी	करौली
15	एकजुट संस्थान	कोटा
16	जन स्वास्थ्य अभियान	चितोड़गढ
17	सेवा संस्थान	चितोड़गढ
18	राजसमन्द महिला मंच	राजसमन्द
19	एम.के.एस.एस.	राजसमन्द
20	ज्ञानोदय ग्रामीण एवं शिक्षण संस्थान	सवाईमाधोपुर
21	चिकित्सा ज्योत	उदयपुर
22	जन विकास संस्थान	उदयपुर
23	सदाचार संस्थान उदयपुर	उदयपुर
24	ग्राम सेवा संस्थान समिति	उदयपुर
25	आस्था संस्थान	उदयपुर
26	एस.पी.आर.आई.	जयपुर
27	मनथन	जयपुर
28	कुतुमन	जयपुर
29	एस.आर.सी.	जयपुर
30	सुरजीत शिक्षा समिति	जयपुर
31	महानगर टाईम्स	जयपुर
32	विविधा	जयपुर
33	शिक्षा विकास संस्थान	जयपुर

34	पी.यू.सी.एल.	जयपुर
35	सी.एफ.ए.आर.	जयपुर
36	आत्मा	जयपुर
37	सपना संस्थान लदाना	जयपुर
38	सी.एच.इ.इ.आर.	जयपुर
39	बी.ए.आर.सी.	जयपुर
40	दलित अधिकार आन्दोलन	जयपुर
41	सी.डी.आर.	जयपुर
42	सेव दा चिल्ड्रन	जयपुर
43	अल्लारिपु	जयपुर
44	समग्र जाग्रति एवं विकास संस्थान	जयपुर
45	सिकॉन डिकान	जयपुर
46	नेत्रहीन कल्याण संघ	जयपुर
47	एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज	जयपुर
48	आर.टी.आई.मंच	जयपुर
49	सी.डी.एस. जयपुर	जयपुर
50	डिपार्टमेन्ट ऑफ एस.जे.इ.डी.	जयपुर
51	शिव साख नवयुवक मण्डल	जयपुर
52	राज. विश्वविधालय	जयपुर
53	एस.आर.सी.	जयपुर
54	एक्शन एड जयपुर	जयपुर
55	लक्ष्य जन कल्याण संस्थान	जयपुर
56	निडस संस्थान	जयपुर
57	संग्रह संस्थान	जयपुर
58	राज.राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	जयपुर
59	स्टेट चाइल्ड हैल्थ रिर्सोस सेन्टर	जयपुर
60	उजरीया वास जाग्रति केन्द्र संस्थान	जयपुर
61	आई इण्डिया	जयपुर
62	टाबर संस्था	जयपुर
63	सहयोग संस्था	जयपुर
64	एफ.एक्स.बी. सुरक्षा	जयपुर
65	अन्ताक्षरी फाउन्डेशन	जयपुर
66	जनकला साहित्य मंच	जयपुर
67	वात्सल्य	जयपुर
68	दुसरा दशक	जयपुर

69	यूनीसेफ	जयपुर
70	रिसोर्स इन्सटीट्यूट फॉर ह्युमन राइट्स	जयपुर
71	एस.वी.एस.	जयपुर
72	लोक संवाद संस्थान	जयपुर
73	पोजेटिव वुमन नेटवर्क	जयपुर
74	प्रजायतन	जयपुर
75	एज्युकेशन रिर्सोस ग्रुप	जोधपुर
76	सम्बली ट्रस्ट	जोधपुर
77	मानव समाज सेवा संस्थान	जोधपुर
78	स्मग्र विकास समिति	जोधपुर
79	जन कल्याण संस्थान नाथुसर	जेसलमेर
80	महिला जन अधिकार अजमेर	अजमेर
81	राज. महिला बाल विकास समिति	अजमेर
82	अवेयर अजमेर	अजमेर
83	मंथन कोटड़ी	अजमेर
84	ग्राम चेतना केन्द्र	अजमेर
85	खिलती कलियॉ नेटवर्क	अजमेर
86	एम.एम.एस.वी.एस.	अलवर
87	ए.एम.आई.ई.डी.	अलवर
88	संकल्प संस्था मामोनी	बॉरा
89	दुसरा दशक भंवरगढ़	बॉरा
90	रोड़ संस्था	भरतपुर
91	राजस्थान रूरल डवल्पमेंट	भरतपुर
92	महिला युवा फाउन्डेशन	भरतपुर
93	उरमूल सिमान्त समिति बज्जू	बीकानेर
94	उरमूल ज्योति नोखा	बीकानेर
95	उरमूल सेतु लुनकरणसर	बीकानेर
96	मंजरी संस्था नेनवॉ	बुंदी
97	प्रयत्न संस्था	धोलपुर
98	उरमूल खेजड़ी	नागौर
99	नवज्योति विकास संस्थान	पाली
100	शिव शिक्षा समिति	टोंक
101	आदर्श विकास नवयुवक मण्डल	पाली
102	नवज्योत विकास संस्थान	पाली